रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 1970/भाद्र 9, 1892

No. 145] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 1970/BHADRA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st August 1970

SUBJECT.—*The Scheme of Sale and distribution through Allotment/Releases from NMDC's stock of rough precious stones procured from Burma Auction-Amendment relating to.*

No. 130-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Scheme of sale and distribution through allotment/releases from the NMDC's stock of rough precious stones procured from Burma Auction laid down in Public Notice No. 61-ITC(PN)/70, dated 23rd April, 1970.

2. The following amendments may be carried out in the above-referred Public Notice:—

(i) Para (2) of the said Public Notice may be substituted as below:—

"Admission to the auction to be conducted by the NMDC will be open to all registered exporters who have an export of not less than Rs. 25 000/- to their credit in 1968-69 or 1969-70 of precious stones cut or polished or those registered exporters who are 'approved'

under the scheme of sales to Foreign tourists and hold valid Money Changers' Licence, or those who have sold in international fairs or exhibitions gems and jewellery worth at least Rs. 25,000/- in any one year within the last three years".

(ii) Para 4(1) of the above referred Public Notice may be substituted by the following:—

"That before the actual issue of the allotment/release order the applicant would execute a bond (in the form given in Annexure II) supported with bank guarantee for 50 per cent of the value of the allotment release order in favour of the President of India. This bond will be executed with the Port Licensing Authority concerned. The bank guarantee shall be valid for a period of two years."

(ii) In part III of Annnexure I to the above-referred Public Notice, in the portion marked 'for use by NMDC' please read 'Commercial Manager, NMDC for Secretary NMDC'.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 अगस्त 1970

विषय :–बर्मा नीलामी से प्राप्त अपरिष्कृत मूल्यवान रत्नों की, एन० एम० डी० सी० के स्टाक से नियतन/बंटन द्वारा बिक्री तथा वितरण की योजना—तत्सम्बन्धी संशोधन।

सं० 130 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 :–सार्वजनिक सूचना सं० 61–आई० टी० सी० (पी० एन०)/170 दिनांक 23–4–70 में निर्धारित बर्मा नीलामी से प्राप्त अपरिष्कृत कीमती हीरों की, एन० एम० डी० सी० के स्टाक से नियतन / बंटन द्वारा बिक्री तथा वितरण योजना की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं —

(1) उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:–

"एन० एम० डी० सी० द्वारा संचालित की जाने वाली नीलामी में प्रवेश उन सब पंजीकृत निर्यातकों के लिए, जिन्होंने 1968–69 अथवा 19 69–70 में 25,000 रुपये से अनधिक मूल्य के तराशे हुए अथवा पोलिश किए हुए मूल्यवान रत्नों का निर्यात किया है, अथवा उन पंजीकृत निर्यातकों के लिए, जो विदेशी पर्यटकों को बिक्रय की योजना के अन्तर्गत 'अनुमोदित' हैं और जिनके पास वैध मुद्रा परिवर्तन लाइसेंस है अथवा उनके लिए जिन्होंने गत तीन वर्षों में किसी एक वर्ष के दौरान कम से कम 25,000 रुपये मूल्य के रत्नाभूषण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों अथवा प्रदर्शनियों में बेचे हैं, खुला रहेगा।"

(2) उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका—4 (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

"कि नियतन/बंटन आदेश के वास्तव में जारी होने से पूर्व आवेदक भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में एक बन्ध-पत्र (अनुबन्ध-2 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार) भरेगा जिसके

साथ नियतन / बंटन आदेश के मूल्य के 50 प्रतिशत अंश के लिए बैंक की गारन्टी भी होगी। यह बन्ध-पत्र सम्बन्धित पोर्ट लाइसेंस प्राधिकारियों के लिए निष्पादित किया जाएगा। बैंक गारन्टी दो वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी।"

(3) उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध-1 के भाग 3 में 'एन० एम० डी० सी० द्वारा प्रयोग के लिए' इस प्रकार अंकित अंश में 'सचिव, एन० एम० डी० सी० के स्थान पर 'वाणिज्यिक प्रबन्धक एन० एम० डी० सी०' पढ़िये।

SUBJECT.—*Import of Cashewnuts (S. No. 20/IV).*

No. 131-ITC(PN)/70.—Consequent of the removal of Cashewnuts (S. No. 20/IV) from the O.G.L. No. LXXXVIII *vide* Ministry of Foreign Trade Import Trade Control Order No. 3/70, dated the 31st August, 1970, it has been decided to canalise with immediate effect the import of Cashewnuts (S. No. 20/IV) through The Cashew Corporation of India Limited.

विषय : काजू का आयात (क्रम संख्या 20/4).

सं० 131 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 :—विदेश व्यापार मंत्रालय आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 3 / 70 दिनांक 31-8-1970 के अनुसार खुले सामान्य लाइसस संख्या 88 में से काजू (क्रम संख्या 20/4) को हटाने के फलस्वरूप काजू (क्रम संख्या 20/4) का आयात भारतीय काजू निगम के माध्यम से तुरन्त मार्गीकृत करने का निश्चय किया गया है।

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st August 1970

No. 3/70.—In pursuance of the Imports (Control) Order, 1955, the Central Government hereby makes the following amendment in the Open General Licence No. LXXXVIII published with the Government of India, Ministry of Foreign Trade Imports (Control) Order No. 1/70 dated the 31st March, 1970, namely:—

The following entry may be deemed to have been deleted from the Schedule to O.G.L. No. LXXXVIII with immediate effect :—

S. No.	Part of the I. T.C. Schedule.	Discription of the goods
20	IV	Cashewnuts.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 अगस्त 1970

सं० 3/70:—आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार खुले सामान्य लाइसेंस संख्या 88 में, जो भारत सरकार विदेश व्यापार मंत्रालय, आयात (नियंत्रण) आदेश संख्या 1/70, दिनांक 31.3-1970 द्वारा प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

खुले सामान्य लाइसेंस संख्या 88 की अनुसूची में से निम्नलिखित प्रविष्टि को तुरन्त हटाया गया समझा जाए :-

क्रम संख्या	आई० टी० सी० अनुसूची का भाग	माल का विवरण
20	चार	काजू

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970